



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227504
CG-DL-E-11062021-227504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2099]
No. 2099]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2259(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2025(अ) तारीख 24 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 5 में, क्रम संख्या 2 और 8 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
2.	श्री नगेन्द्र नाथ डेका, मकान नं. 2, सुरवि पथ, डॉ. जाकिर हुसैन रोड, सरूमाटोरिया, गुवाहाटी-781036	सदस्य;
8.	डॉ. करोबी भुयान सैकिया, मकान नं. 7, नेरा मिडलैण्ड नर्सिंग होम बाइ लेन नं. 5, आरजी बरूआ रोड, पोस्ट-दिसपुर, गुवाहाटी-781005	सदस्य.

[जे-11013/3/2007-आईए. II (I)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्यांक का.आ. 2025(अ), तारीख 24 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2025 (E), dated 24th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the paragraph 5, against serial number 2 and 8, for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

1.	2	3
2.	“Shri Nagendra Nath Deka House No. 2, Suravi Path, Dr Zakirhussein Road, Sarumatoria, Guwahati-781036	Member”;
8.	“Dr. Karobi Bhuyan Saikia H. No 7, Nera Midland Nursing Home Bye Lane No. 5, RG Baruah Road, PO-Dispur, Guwahati-781005	Member”.

[J-11013/3/ 2007- IA.II (I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2025(E), dated the 24th June, 2020.